भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 783
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में भूमि विवाद के मामले

783. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) देश भर के न्यायालयों में भूमि विवाद संबन्धित कितने मामले लंबित हैं;

(ग) देश में वर्तमान में विवादित या मुकदमेबाजी के अंतर्गत कुल भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार भूमि विवाद से संबंधित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कोई उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.01.2025 को विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है :--

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	82,922
2.	उच्च न्यायालय	62,28,980
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,56,17,477

(ख) से (घ) : सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है । लंबित मामलों का समयबद्ध रूप से निपटान अनन्य रूप से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है । तथापि, सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान और लंबन कम करने के लिए एक इकोसिस्टम सुकर बनाने के लिए कतिबद्ध है । सरकार ने 2011 में, कार्यप्रणाली में बकाया और लंबन कम करके तथा अवसंरचना परिवर्तनों के द्वारा जवाबदेही बढ़ाकर और निष्पादन मानक तथा कार्यक्षमता स्थापित करके पहुंच बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य से न्याय परिदान और विधिक सुधार पर राष्ट्रीय मिशन गठित किया । मिशन बकाया मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए समन्वित मार्ग का पालन कर रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों में उन्नत अवसंरचना अंतर्वलित है, जिसमें कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, नीति और अत्याधिक मुकद्दमेबाजी वाले क्षेत्रों में विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालयी प्रक्रियाओं की पुन:इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर बल सम्मिलित हैं ।

******